संख्या–90 /XVI(1)/10/10(2)/2009 T.C.

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:1 देहरादूनःदिनांक–3 फरवरी जनवरी,2010

विषय–वित्तीय वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुमोदित विभिन्न परियोजना प्रस्तावों के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक–181/उद्यान–तक0/सू0यो0/2009, दिनांक–20 अगस्त,2009 एवं पत्रांक–516/विविध–सूखा/2010 दिनांक–19 जनवरी,2010 के अनुक्रम में सचिव,कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–793/XIII-I/20089-5(26)/2008 दिनांक–26 अक्टूबर,2009 तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1–20/2009– RKVY दिनांक–24 सितम्बर,2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि कृषि एवं सहकारिता विभाग,भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उद्यान विभाग से सम्बन्धित 01 तथा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान से सम्बन्धित 04 अर्थात् कुल 05 परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं, जो कि धनराशि रू0–1590.90 लाख की लागत के है तथा शतप्रतिशत केन्द्र सहायतित है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों के सापेक्ष राज्य सरकार को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कृषि विभाग,उत्तराखण्ड शासन द्वारा उद्यान विभाग तथा जड़ी–बूटी शोध संस्थान से सम्बन्धित इन 05 परियोजना प्रस्तावों के लिए रू0–672.30 लाख की प्रथम किस्त की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस धनराशि की व्यवस्था विभागीय बजट से स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष अवमुक्त किये जाने निर्देश दिये गये है। विभागीय आय–व्ययक में इस हेतु धनराशि की व्यवस्था नही होने की स्थिति में इन 05 अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित **रू0–672.30 लाख (रू0 छः करोड़ बहत्तर लाख तीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	जनपद पिथौरागढ में "औषधीय एवं सगंध पादपों के उत्पादन का उच्चीकरण"।	31265	7620
2	जनपद चमोली में "उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी–बूटी एवं संगध पौधों के कृषिकरण हेतु प्रोत्साहन गतिविधियॉ।	38190	9305

....2/–

3	उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रों इंट्रीप्रेनरशिप के माध्यम से संगन्ध पादपों का कलस्टर विकास।	47000	11450
4	सगन्ध पादपों के कृषिकरण एवं प्रसंस्करण हेतु नई तकनीकों के प्रयोग से उत्पादकों की आय में वृद्धि।	5000	1220
5	सूखा क्षतिपूर्ति योजनान्तर्गत बीज वितरण परियोजना	37635	37635
	कुल योगः–	**159090**	**67230**

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या–1-20/2009-RKVY, दिनांक–24 सितम्बर,2009 **(छाया प्रति संलग्न)** में प्राप्त स्वीकृति एवं तद्स्थान में उल्लिखित निर्देशों तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप करते हुए वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, निदेशक,कृषि उत्तराखण्ड तथा कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा–निर्देश वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(3) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(4) प्रश्नगत व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0 एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(7) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(8) उपरोक्त तालिका के कमांक–1 से 4 पर अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों के सापेक्ष अवमुक्त की जा रही धनराशि तत्काल निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को बैंक ड्राफ्ट/चैक अथवा नियमानुसार प्रचलित व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

..3/–

9– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय प्रथम अनुपूरक अनुदानान्तर्गत विभागीय अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0114–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (100 % के0स0)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

(10) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–324 (P)/XXVII–4/ 2009, दिनांक–27 जनवरी,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– /XVI(1)/09/10(2)/2009,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास,उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव,कृषि विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक,कृषि विभाग,उत्तराखण्ड।
4. श्री ए0के0डोगरा,अनु सचिव,कृषि एवं कृषि मंत्रालय,कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र संख्या–1-20/2009-RKVY,दिनांक–24 सितम्बर, 2009 के क्रम में सूचनार्थ।
5. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल,नैनीताल/गढ़वाल मण्डल,पौडी।
6. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. निदेशक,जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर (चमोली)।
8. प्रभारी वैज्ञानिक,सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई देहरादून।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
12. समस्त जिला उद्यान अधिकारी,उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।